

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2513

दिनांक 10 दिसम्बर, 2024

कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदान किए गए प्रोत्साहन

2513. श्री उज्जवल रमण सिंह :

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों हेतु किसानों को सहायता के रूप में कृषि विज्ञान केंद्रों को वर्ष 2023-24 में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में कोई वृद्धि की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या कृषि विज्ञान केंद्रों ने उत्तरी भारत के किसानों को सर्दियों के मौसम में पराली जलाने से रोकने के लिए वर्ष 2023-24 में कोई वैकल्पिक फसल अवशेष प्रबंधन समाधान प्रदान किये हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) : वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान, 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन' नामक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के घटक के रूप में "सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी)" के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) के उपयुक्त विकल्प के बारे में किसानों में जागरूकता सृजन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को रु 74.96 करोड़ की राशि सरकार द्वारा प्रदान की गई है। वर्तमान में आईईसी घटक को 65 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें पंजाब के 22 कृषि विज्ञान केंद्र, हरियाणा के 14 कृषि विज्ञान केंद्र, दिल्ली का 1 कृषि विज्ञान केंद्र तथा उत्तर प्रदेश के 28 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं।

आईईसी घटक के तहत विभिन्न कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2024-25 में रुपये 33.55 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की है, इसमें जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन तथा विविध सीआरएम मशीनरियों पर किसानों के हैंडस-ऑन प्रशिक्षण का आयोजन शामिल है।

कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा लगभग 3.89 लाख किसानों को शामिल करते हुए 5224 जागरूकता केंप, 60194 किसानों के लिए 1707 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1.24 लाख प्रदर्शन तथा 391 किसान मेलों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अवशेष जलाने के विरुद्ध विद्यालय और कॉलेज के 2.38 लाख छात्रों को जागरूक किया गया है। साथ ही साथ, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को तकनीकी परामर्श प्रदान करने के प्रयोजन हेतु सोशल मीडिया (वाट्सएप, फेसबुक तथा यू-ट्यूब) एवं प्रिंट मीडिया का भी उपयोग किया गया।

(ग) एवं (घ) : कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को वैकल्पिक फसल अवशेष प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराने हेतु विविध फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरियों पर किसानों हेतु प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन मशीनों में बिना धान अवशेष जलाए गेहू की सीधी बीजाई (डायरेक्ट सिडिंग) के लिए हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर; सब्जी/आलू के उत्पादन के लिए खेत में धान के ठूंठ को समाविष्ट करने के लिए रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड हल; तथा अन्य फार्म मशीनरी शामिल हैं जैसे जीरो टिल ड्रिल, श्रब मास्टर/कटर सह स्प्रेडर, मल्चर/चौपर आदि तथा स्व-स्थाने अवशेष प्रबंधन के लिए बायो-डिकंपोजर भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा, बाह्य-स्थाने अवशेष प्रबंधन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया गया है जिसमें वैकल्पिक उपयोग के लिए फसल अवशेष को एकत्रित करने तथा बंडलिंग के लिए वेलर मशीन का प्रोत्साहन शामिल है।
